संख्या-735/2017/1296/22-2-2017-17(443)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमाल पुत्र श्री मोहम्मद्दीन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3(एम 02.05.2017) दिनांक-18.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी जमाल पुत्र श्री मोहम्मद्दीन, ग्राम-रसूलपुर, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी व वसीम गांव के अन्य लोगों के साथ दिनांक 11.12.1999 को खेत में गन्ना छिलने/काटने गये थे। वसीम ने गन्ना छीलने व काटने से मना करते हुए हाथ पकड लेने तथा अधिक चारे के लालच में वसीम के सिर पर बांका से वार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-439/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-4, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 12.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 11.12.1999 को खेत में गन्ना छिलने/काटने गये। वसीम द्वारा और गन्ना छलने व काटने से मना करते हुए हाथ पकड लेने तथा अधिक चारे के लालच में वसीम के सिर पर बांका से वार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-43 वर्ष होने, शारीरिक रूप से स्वास्थ व अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जमाल पुत्र श्री मोहम्मद्दीन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जमाल (बन्दी संख्या-42657) पुत्र श्री मोहम्मद्दीन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-735/2017/1296(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-735/2017/1296@22-2-2017-17(443)/2017

दिनांक 30 अगस्त, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध जमाल (बन्दी संख्या-42657) पुत्र श्री मोहम्मद्दीन, ग्राम-रसूलपुर, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी व वसीम गांव के अन्य लोगों के साथ दिनांक 11.12.1999 को खेत में गन्ना छिलने/काटने गये थे। वसीम ने गन्ना छीलने व काटने से मना करते हुए हाथ पकड लेने तथा अधिक चारे के लालच में वसीम के सिर पर बांका से वार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-439/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-4, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 12.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 11.12.1999 को खेत में गन्ना छिलने/काटने गये। वसीम द्वारा और गन्ना छलने व काटने से मना करते हुए हाथ पकड लेने तथा अधिक चारे के लालच में वसीम के सिर पर बांका से वार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-43 वर्ष होने, शारीरिक रूप से स्वास्थ व अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जमाल पुत्र श्री मोहम्मद्दीन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।